FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **राजेन्द्र प्रसाद बनाम गोविन्द प्रसाद वगैरह** **दीवानी मूल अपील संख्या – 21/2021(02/2016)** **सीआईएस संख्या – 02/2016**	Brief note of Compliance of Order
18.11.2024	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी दुर्गेश कंवर व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी दिनांकित 14.08.2019 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पारीक की दिनांक 24.05.2019 को मृत्यु हो गई है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वारिसान दुर्गेश कंवर, संजय पारीक, नवीनचंद पारीक, ममता पारीक व मीनाक्षी पारीक उसके विधिक वारिसान है। अपील का वाद कारण जीवित है। प्रार्थीगण अपील को चालू रखना चाहते है। प्रार्थना पत्र अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः उसे रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि अपीलांट/प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद के 5 वारिस नहीं होकर के 6 वारिस है, जिनमें देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण भी है। समस्त वारिसान को रिकोर्ड पर लेने हेतु विहित समयावधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है, जिससे अपील अबेट हो गई है। देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण अपीलांट का जायन्दा पुत्र है। जो उसका विधिक वारिस है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से उसे खारिज किया जावे एवं संपूर्ण अपील अबेट होने से खारिज किए जाने योग्य है। उत्तरदाता संख्या 1 की ओर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुए राजेन्द्र प्रसाद पारीक का एक अन्य वारिस देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण का होना बताया है। जिसका जवाबुल–जवाब पेश किया गया कि यद्यपि देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण राजेन्द्र प्रसाद पारीक का पुत्र है परन्तु बचपन में ही वह मंदिर राधानागर किशनगढ़ में गुरू महन्त पुजारी बंशीधर के साथ रहकर आजीवन ब्रह्मचारी रहकर पूजा–अर्चना कर रहा है एवं परिवार से विरक्त होकर परिवार का त्याग कर संत परंपरा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है। जिसका राजेन्द्र प्रसाद पारीक के परिवार से संत बनने के बाद संबंध नहीं रहा है। अतः उसे कानूनी वारिस नहीं बनाया जा सकता। अतः प्रार्थीगण ही विधिक वारिस होने से उन्हें रिकोर्ड पर लिया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण द्वारा भी जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण ने कथन किया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित वारिसान मृतक राजेन्द्र प्रसाद पारीक के विधिक वारिसान है जो राजेन्द्र प्रसाद पारीक की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करते है, जिन्हें रिकोर्ड पर लेने में जवाबकर्ता देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण को कोई आपत्ति नहीं है। जवाबकर्ता महन्त पुजारी दामोदरशरण उर्फ देवेन्द्र कुमार मृतक राजेन्द्र प्रसाद पारीक की संपत्ति का विधिक प्रतिनिधित्व नहीं करता है एवं जवाबकर्ता को मृतक अपीलांट के स्थान पर बतौर विधिक प्रतिनिधि रिकोर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। जवाबकर्ता	

	मंदिर श्री राधानागर का पुजारी होकर मंदिर के सेवा पूजा करता चला आ रहा है। गुरू–शिष्य की संत परंपरा के अनुसार विरक्त होकर देवेन्द्र कुमार को नया नाम दामोदरशरण दिया गया एवं संत घोषित किया गया। राजेन्द्र प्रसाद पारीक के परिवार एवं उसके सदस्यों से उसका कोई संबंध नहीं है। अतः उसे बतौर विधिक प्रतिनिधित्व रिकोर्ड पर नहीं लिया जा सकता। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र मृतक/अपीलांट राजेन्द्र प्रसाद पारीक के विधिक वारिसान जो प्रार्थना पद के पद संख्या 2 में उल्लेखित है को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया। जबकि उत्तरदाता द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के 5 विधिक वारिसान के अलावा एक अन्य विधिक वारिसान देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण का होना भी बताया है। देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण मृतक राजेन्द्र प्रसाद पारीक का पुत्र नहीं हो इस तथ्य से प्रार्थीगण ने इंकार नहीं किया। स्वयं देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण ने भी उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए स्वयं को मृतक राजेन्द्र प्रसाद पारीक का पुत्र होना बताया परन्तु प्रार्थीगण ने अपने जवाबबुल जवाब प्रार्थना पत्र तथा देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण ब्रह्मचारी होकर परिवार से विरक्त होकर संत के रूप में श्री राधानागर मंदिर में पुजारी के बतौर कार्य कर रहा है, जिसका राजेन्द्र प्रसाद पारीक के परिवार के सदस्यों से कोई संबंध नहीं रहा है। अतः देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण का अपीलांट की संपत्ति में कोई विधिक प्रतिनिधित्व नहीं होने से उसे विधिक प्रतिनिधि के रूप में रिकोर्ड पर नहीं लिए जाने के तथ्य का अंकन किया गया है। अर्थात प्रार्थीगण एवं जवाबकर्ता देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण ने स्वयं को मृतक राजेन्द्र प्रसाद पारीक का विधिक प्रतिनिधि नहीं होना बताया है एवं संसार से विरक्त होने का कथन किया है। देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण परिवार से विरक्त होकर संत के रूप में मंदिर की सेवा, पूजा–अर्चना कर रहा है या नहीं यह तथ्य साक्ष्य का विषय है। जिसके संबंध में कोई निष्कर्ष उक्त प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। चूंकि प्रार्थीगण एवं जवाबकर्ता देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण ने स्वयं को मृतक राजेन्द्र प्रसाद पारीक के पुत्र होने से इंकार नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण मृतक राजेन्द्र प्रसाद पारीक का विधिक वारिस होना प्रकट होता है। यद्यपि देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण ने स्वयं को मृतक अपीलांट के स्थान पर बतौर विधिक प्रतिनिधि रिकोर्ड पर नहीं लिए जाने का निवेदन किया परंतु अपीलार्थी द्वारा जो अपील मीमो पेश किया गया है उसमें देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार कायम नहीं किए जाने का भी आधार अंकित किया गया है। यद्यपि देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण मृतक अपीलांट के स्थान पर बतौर विधिक प्रतिनिधि रिकोर्ड पर नहीं आना चाहता परंतु चूंकि देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण मृतक राजेन्द्र प्रसाद पारीक का विधिक वारिस है। अतः ऐसी देशा में उसे प्रत्यर्थी के रूप में रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से दौराने बहस यह कथन किया गया कि देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण को विधिक वारिसान की श्रेणी में अंकित करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है जो विहित समयावधि में नहीं होने से अपील अबेट होना बताया है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाए तो प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत	

	प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी दिनांकित 14.08.2019 को पेश किया गया है एवं अपीलांट/प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पारीक की मृत्यु दिनांक 24.05.2019 को होना जाहिर किया गया है। अर्थात उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा विहित परिसीमा अवधि में पेश किया गया है। यद्यपि देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण का प्रार्थना पत्र में नाम अंकित नहीं किया गया है परंतु उत्तरदाता द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें अपीलांट/प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पारीक का देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण को वारिस होना बताया गया है। मूल प्रार्थना पत्र का पूर्व में निस्तारण नहीं किया गया है। आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का मुख्य उद्देश्य मृतक पक्षकार की मृत्यु पर यदि कोई वाद हेतुक बचा रहता है तो उस संबंध में उसके विधिक वारिसान द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकरण का न्यायपूर्ण निस्तारण किया जाना है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विधिक वारिसान का प्रार्थना पत्र विहित समयाविध में पेश किया जा चुका है जो पूर्व में निस्तारित भी नहीं हुआ है। अतः ऐसी दशा में केवल इस आधार पर की देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण का नाम उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया, यह नहीं माना जा सकता कि उक्त प्रार्थना पत्र विहित समयावधि में पेश नहीं किया गया, ना ही इस आधार पर अपील का उपशमन किया जा सकता है। उत्तरदाता द्वारा इस संबंध में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में न्यायिक–दृष्टांत का उल्लेख किया गया है परंतु ऐसा कोई न्यायिक–दृष्टांत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विहित समयावधि में पेश होने तथा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वारिसान 1 लगायत 5 व देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण को मृतक राजेन्द्र प्रसाद पारीक के विधिक वारिसान होने से उन्हें रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। चूंकि देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण ने स्वयं को मृतक अपीलांट के विधिक प्रतिनिधि के बतौर रिकोर्ड पर लिए जाने में असहमति व्यक्ति की है। अतः ऐसी दशा में मृतक अपीलांट/प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद पारीक के वारिसान जो कि प्रार्थना पत्र में 1 लगायत 5 के रूप में है उन्हें मृतक राजेन्द्र प्रसाद के विधिक प्रतिनिधि तौर अपीलार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के रूप में रिकोर्ड पर लिया जाता है तथा देवेन्द्र उर्फ दामोदरशरण को बतौर प्रत्यर्थी संख्या 9/प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में रिकोर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी हेतु दिनांक 20.11.2024 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	